

// विविध आदेश //

क्रमांक...../

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती रश्मि बागरी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-21ए/2025 नीलम चतुर्वेदी बनाम जनकनंदनी तिवारी वगै० को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री रंजीत भदकारिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 4556
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
की ओर व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-21ए/2025 नीलम चतुर्वेदी बनाम जनकनंदनी तिवारी वगै० मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
5. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)